ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर०ई० वाद सं०–15/2016–17

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
24.07.24	**आदेश** प्रस्तुत आर०ई० वाद संख्या–15/2016–17 (अलीमुद्दीन शेख –बनाम–नसरूल शेख एवं अन्य) आवेदक–अलीमुद्दीन शेख, पिता–स्व0 रहीम शेख, सा०–छोटा संघरा, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर के द्वारा विपक्षी–नसरूल शेख एवं कारू शेख, पिता–स्व0 नौशाद शेख, सा0–लालगढ़, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् प्रशनगत भूमि मौजा–छोटा संघरा, थाना नं0–368, जमाबंदी नं०–23, दाग नं०–102 एवं 105 की भूमि से उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। 02. इस संबंध में विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए, अंचल अधिकारी, मधुपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक–560/रा०, दिनांक–21/08/2018, पत्रांक–518/रा०, दिनांक–16/11/2019 एवं पत्रांक–44/रा०, दिनांक–17/01/2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। साथ ही इस संबंध में कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर से भी स्थलीय जाँच कराई गई, जो उनके पत्रांक–391/सा0, दिनांक–10.05.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 03. विपक्षी का कथन है कि खतियानी रैयत के वंशज से उक्त भूमि नादाबीनामा द्वारा प्राप्त कर बसोवास करते आ रहे हैं। हमलोग मौजा–छोटा संघरा का स्थाई वासी है। 04. अंचल अधिकारी, करौं ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा–छोटा संघरा, थाना नं0–368, जमाबंदी नं०–23,, किस्म–बाड़ी ऑवल शुकर अली शेख वल्द नीरमली शेख के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज में नहीं आते हैं। विपक्षी ने आवेदित भूमि नादाबी घोषण पत्र द्वारा प्राप्त कर दखल–भोग कर रहे हैं। 05. कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विपक्षी नसरूल शेख का प्रश्नगत भूमि के दाग नं0–102 के अंश रकवा–15	

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
	डी0 पर दखल भोग कर रहे हैं। विपक्षी ने अपने दावे के समर्थन में नादाबी घोषण पत्र प्रस्तुत किया गया। 06. इस संबंध में विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने अपने दावे के समर्थन में नादाबी घोषण पत्र प्रस्तुत किया गया, जो वैधानिक कागजात नहीं है। आवेदित भूमि रैयती जमाबंदी है, जो अहस्तांतरणीय है। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है, परन्तु फिर भी विपक्षी द्वारा गैरकानूनी रूप से आवेदित भूमि पर दखल–कब्जा किया गया है, जो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 के विरूद्ध है। 07. अतः उपरोक्त तथ्यों, दाखिल कागजातों, अंचल अधिकारी, मधुपुर एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी नसरूल शेख एवं कारू शेख, पिता–स्व0 नौशाद शेख, सा0–लालगढ़, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर को प्रश्नगत भूमि मौजा–छोटा संघरा, थाना नं0–368, जमाबंदी नं०–23, दाग नं०–102 एवं 105, रकवा–15 डी0 भूमि से संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–42 के तहत् उच्छेद किया जाता है। तद्नुसार उच्छेदी परवाना निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधुपुर को भेजें। **लेखापित एवं शुद्धित** 24/07/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। 24/07/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	24-07-24

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.08.22 16:07:49 +05:30
Location: 192.168.29.15